[2019] 9 एससीआर 695।

श्री ए.एम.सी.एस. स्वामी एडीई/डीपीई/एचवाईडी (मध्य)

बनाम

मेहदी आगा करबलाई और एक अन्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 1102)

23 जुलाई, 2019

[न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 482 - विद्युत अधिनियम के तहत प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना - बिजली विभाग ने उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण किया - प्रतिवादी नंबर 1 के परिसर का निरीक्षण किया और मीटर से छेड़छाड़ की गई - उक्त मीटर को दूसरे मीटर से बदल दिया गया और पहले मीटर को जांच के लिए भेजा गया था जिसकी जांच करने पर छेड़छाड़ पाई गई थी - 6.28 लाख रुपये का नुकसान - अपीलकर्ता का मामला कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा किया गया अपराध दूसरा अपराध था और पहला अपराध था। प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ दर्ज अपराध को बढ़ा दिया गया था - 2003 अधिनियम की धारा 135 के तहत दर्ज शिकायत - विशेष अदालत ने 2003 अधिनियम की धारा 151 के तहत मामले का संज्ञान लिया - इस आधार पर दायर कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका कि विशेष अदालत ने बिना किसी आदेश के संज्ञान लिया और यह सीआरपीसी की धारा 193 का उल्लंघन था - उच्च न्यायालय ने याचिका की अनुमति दी और कार्यवाही को रद्द कर दिया - अपील पर, 2003 अधिनियम की धारा 151 का दूसरा परंतुक विशेष रूप से 2003 अधिनियम की धारा 153 के तहत गठित विशेष न्यायालय को आरोपी के बिना अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार देता है - 2003 अधिनियम की धारा 151 के तहत विशिष्ट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, विशेष न्यायालय को धारा 193 के तहत विचार किए बिना किसी आदेश के संज्ञान लेने का अधिकार है। सीआरपीसी - उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय धारा 151 के उक्त परंतुक पर विचार नहीं किया - लागू आदेश को रद्द किया जाता है – विद्युत अधिनियम, 2003 – धारा 151 और इसके परंतुक, धारा 193।

अपील को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा:

यह सच है कि सीआरपीसी की धारा 193 के तहत प्रक्रिया के अनुसार, कोई भी सत्र न्यायालय मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जब तक कि मामला मजिस्ट्रेट द्वारा इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं किया गया हो, सिवाय इसके कि संहिता द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, या किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया गया है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 151 पूरी तरह से एक नया प्रावधान है। अधिनियम की धारा 151 में प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय उपयुक्त सरकार या उपयुक्त आयोग या उनके द्वारा अधिकृत उनके किसी अधिकारी या मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक या लाइसेंसधारक या उत्पादन कंपनी द्वारा लिखित में की गई शिकायत के अलावा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। जैसा भी मामला हो, इस उद्देश्य के लिए। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 151 का दूसरा परंतुक, विशेष रूप से विद्युत अधिनियम, 2003

की धारा 153 के तहत गठित विशेष न्यायालय को आरोपी के बिना अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार देता है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 151 के तहत विशिष्ट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, विशेष न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 के तहत यथा विचार किए बिना कोई आदेश दिए बिना संज्ञान लेने का अधिकार है। जब विशेष अधिनियम में अभियुक्त के बिना अपराध का संज्ञान लेने के लिए विशेष न्यायालय को सशक्त बनाने का स्पष्ट प्रावधान है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेना सीआरपीसी की धारा 193 का उल्लंघन है। उच्च न्यायालय ने धारा 151 के उक्त परंतुक पर विचार नहीं किया और आक्षेपित आदेश पारित किया। लागू आदेश रद्द किया जा सकता है। [पैरा 10, 11] [701-ए, बी, डी-जी]

आंध्र प्रदेश राज्य, जिसका प्रतिनिधित्व उसके लोक अभियोजक बनाम मेसर्स शालिनी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, बोलारम, मेडक जिला 2011 सीआरएलएलजे 67; गंगुला अशोक और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2000) 2 एससीसी 504: [2000] 1 एससीआर 468 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

2011 सीआरआईएलजे 67 पैरा 4 (सी) को संदर्भित

[2000] 1 एससीआर 468 पैरा 4 (सी) को संदर्भित किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की आपराधिक अपील संख्या 1102।

2011 की आपराधिक याचिका संख्या 13678 में हैदराबाद में उच्च न्यायालय के दिनांक 03.12.2018 के निर्णय और आदेश से।

सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, राकेश के शर्मा, अपीलकर्ता के वकील।

वरिष्ठ अधिवक्ता ए. सिराजुद्दीन और एम. श्रीनिवास आर. राव, सरथ एस. जनार्दनन, करी वेंकट रेड्डी, आबिद अली बीरन पी. एस. उदय कुमार सागर प्रतिवादियों की ओर से वकील हैं।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी द्वारा सुनाया गया था।

1. अपील की अनुमति दी गई।

2. यह आपराधिक अपील तेलंगाना लिमिटेड (जिसे पहले एपीसीपीडीसीएल के नाम से जाना जाता था) के राज्य वितरण उपयोगिता दक्षिणी विद्युत वितरण के अधिकारी द्वारा दायर की गई है, जिसमें 2011 की आपराधिक याचिका संख्या 13678 में हैदराबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 03.12.2018 के आदेश को चुनौती दी गई है।

3. उपरोक्त आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने 2011 की आपराधिक याचिका संख्या 13678 को अनुमति दी है, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत दायर की गई थी, और 1 अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश, हैदराबाद की फाइल पर 2011 के ईएससी नंबर 3 में कार्यवाही को रद्द कर दिया है।

4.(क) प्रतिवादी संख्या 1 अनुसूचित जाति संख्या CZ007583 वाले सेवा कनेक्शन के साथ बिजली का उपभोक्ता है, जो तेलंगाना लिमिटेड (एसपीडीटीएल) के दक्षिणी विद्युत वितरण के 12903 वाट के भार से

जुड़ा हुआ है। दिनांक 12-11-2009 को लगभग 1226 बजे प्रतिवादी संख्या 1 के परिसर का अपीलकर्ता के संबंधित स्टाफ द्वारा उनकी उपस्थिति में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय, निरीक्षण अधिकारियों को मीटर बॉक्स सील पर सील तार के साथ अतिरिक्त दबाव और सील बिट उभरे हुए निशान मिले हैं। उक्त मीटर को दूसरे मीटर से बदल दिया गया और पहले के मीटर को एमआरटी लैब में जांच के लिए भेजा गया। एमआरटी लैब ने जांच करने पर प्रमाणित किया कि मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस प्रकार हानि का आकलन 6,28,383/- रुपए (छह लाख अट्ठाईस हजार रुपए और केवल तीन सौ तिरासी रुपए) किया गया था। यह अपीलकर्ता का मामला है कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा किया गया अपराध दूसरा अपराध है। प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ दर्ज पहला अपराध 2008 के अपराध संख्या 491 दिनांक 25.11.2008 में दर्ज किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध दर्ज पहला आपराधिक मामला 03.08.2009 को 47,000/- रुपये (केवल सैंतालीस हजार रुपये) के भुगतान पर दर्ज किया गया था।

(ख) जब अपीलकर्ता ने मीटर में छेड़छाड़ का पता लगाया तो एमआरटी लैब से रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी ने दिनांक 24-11-2009 को शिकायत दर्ज कराई और इसे विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए 25-11-2009 को 2009 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 440 के रूप में दर्ज किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के तहत 10.01.2011 को आरोप पत्र दाखिल करने पर, विशेष न्यायालय ने 2007 के अधिनियम 26 द्वारा संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 151 के तहत मामले का संज्ञान लिया, जो 15.06.2007 से लागू हुआ और इसे 2011 के ई.एस.सी. नंबर 3 के रूप में दर्ज किया।

(ग) प्रतिवादी संख्या 1 ने यहां दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत हैदराबाद उच्च न्यायालय के समक्ष 2011 की आपराधिक याचिका संख्या 13678 दायर की है जिसमें दो आधारों पर उपर्युक्त कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। पहला आधार यह था कि भारतीय विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 की धारा 135 (1-ए) के परंतुक के तहत अनिवार्य कनेक्शन काटने के चौबीस घंटे के भीतर शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। भारतीय विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 की धारा 135 (1-ए) निम्नानुसार है:

(1-ए) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता, जैसा भी मामला हो, बिजली की ऐसी चोरी का पता चलने पर, तुरंत बिजली की आपूर्ति काट सकता है: बशर्ते कि लाइसेंसधारक या आपूर्तिकर्ता का ऐसा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, ऐसे कनेक्शन काटने के समय से चौबीस घंटे के भीतर अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में ऐसे अपराध के होने से संबंधित लिखित में शिकायत दर्ज करेगा: "

दूसरा आधार यह था कि विशेष न्यायालय ने बिना किसी आदेश के संज्ञान लिया है और यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 193 का उल्लंघन है। उक्त तर्क के समर्थन में, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 ने आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक निर्णय पर भरोसा किया, जिसका प्रतिनिधित्व इसके लोक अभियोजक बनाम मेसर्स शालिनी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, बोलाराम, मेडक जिले ने किया। उक्त मामले में उच्च न्यायालय ने गंगुला, अशोक और अन्य मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। आंध्र प्रदेश राज्य ने कहा कि जब तक विशेष अधिनियम में यह सख्ती से स्पष्ट नहीं किया जाता है कि प्रतिबद्ध आदेश की आवश्यकता नहीं है, तब तक प्रतिबद्ध आदेश आवश्यक है। आक्षेपित

आदेश में, उच्च न्यायालय ने, मुख्य रूप से इस आधार पर कि विशेष न्यायालय ने सीधे संज्ञान लिया है और विद्वान लोक अभियोजक द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया है, कार्यवाही को रद्द कर दिया।

5. हमने सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए रिकॉर्ड पर वकील द्वारा सहायता प्राप्त की है, और श्री ए सिराजुद्दीन को भी सुना है, जिन्हें प्रतिवादी नंबर 1 के लिए रिकॉर्ड पर वकील द्वारा सहायता प्रदान की गई थी।

6.(ए)। इस अपील में, मुख्य रूप से अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 151 के परंतुक की जांच किए बिना आक्षेपित आदेश पारित किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 151 का परंतुक, विशेष रूप से विशेष न्यायालय को सीधे संज्ञान लेने का अधिकार देता है, इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान लेना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 193 के तहत प्रावधान का उल्लंघन है।

(ख) इसके अतिरिक्त, रिकार्ड पर रखे गए अतिरिक्त शपथ पत्र और अन्य सामग्री का उल्लेख करते हुए यह प्रस्तुत किया जाता है कि 12-11-2009 को जब यह संदेह हुआ कि प्रतिवादी संख्या 1 ने मीटर के साथ छेड़छाड़ की है, तो उक्त मीटर को उसी दिन अर्थात् 12-11-2009 को दूसरे मीटर से बदल दिया गया था और उक्त तारीख को आपूत नहीं काटी गई थी और कनेक्शन केवल लैब रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही काटा गया है। यह 25-11-2009 की बात है। उक्त दलील को प्रमाणित करने के लिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा 12.11.2009 से 25.11.2009 तक की अवधि के लिए ऊर्जा की खपत के लिए एक बिल जारी किया गया था।

(ग) विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का निवेदन है कि शालिनी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में, जिस पर भरोसा किया गया था, उच्च न्यायालय ने गंगुला अशोक (सुप्रा), जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से उत्पन्न मामला था, के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर आदेश दिया है। 1989. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 151 के समकक्ष कोई प्रावधान नहीं है। उस संदर्भ में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा है कि विशेष न्यायालय सीधे संज्ञान नहीं ले सकता है जब तक कि मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 193 के तहत विचार किए गए एक आयोग न्यायालय द्वारा उसके लिए नहीं किया गया हो।

(घ) यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि प्रतिवादी संख्या 1 दूसरी बार बिजली की चोरी का अपराधी है, उच्च न्यायालय ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 151 के परंतुक पर विचार किए बिना कार्यवाही को रद्द करने में त्रुटि की है।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिराजुद्दीन ने जवाबी हलफनामे और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सामग्री का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया है कि कनेक्शन काटने की कार्रवाई 12.11.2009 को की गई थी और शिकायत 24.11.2009 को दर्ज की गई थी, जो प्रथम दृष्टया समयबद्ध है और यह विद्युत अधिनियम की धारा 135 (1 ए) के परंतुक के विपरीत है। 2003 (2007 का संशोधन

अधिनियम 26)। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि जिस न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया है, वह विद्युत अधिनियम, 2003 के अर्थ के भीतर एक विशेष न्यायालय नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि केवल इसलिए कि पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रैंक का है, इसे विद्युत अधिनियम, 2003 के अर्थ के भीतर एक विशेष न्यायालय के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है, इसलिए शिकायत कनेक्शन काटने से चौबीस घंटे के भीतर दर्ज नहीं की गई थी, प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ लिया गया संज्ञान उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से रद्द कर दिया गया है और हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

8. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, हमने आक्षेपित आदेश और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री का अवलोकन किया है।

9. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत रद्द करने के लिए याचिका प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा केवल दो आधारों पर दायर की गई थी, अर्थात, (i) बिजली अधिनियम की धारा 135 (1 ए) के तहत विचार किए गए चौबीस घंटे के भीतर शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। 2003 (2007 का संशोधन अधिनियम 26) और (ii) विशेष न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 193 के तहत यथा विचार किए बिना सीधे संज्ञान लिया है। उच्च न्यायालय ने शालिनी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया था, जो खुद गंगुला अशोक (सुप्रा) में इस अदालत के फैसले के आधार पर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने, केवल इस आधार पर कि विशेष न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लेना विद्वान लोक अभियोजक द्वारा विवादित नहीं है, कार्यवाही को रद्द करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया है।

10. यह सच है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 193 के तहत प्रक्रिया के अनुसार, कोई भी सत्र न्यायालय किसी अपराध को मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि वह मामला मजिस्ट्रेट द्वारा उसके लिए प्रतिबद्ध नहीं किया गया हो, सिवाय इसके कि दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया हो, 1973, या कुछ समय के लिए कोई अन्य कानून लागू। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 निम्नानुसार है:

193. सत्र न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान:- इस संहिता द्वारा या इस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधान के अलावा, कोई भी सत्र न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि वह मामला इस संहिता के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा उसके समक्ष नहीं किया गया हो।

11. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 151 पूरी तरह से एक नया प्रावधान है। अधिनियम की धारा 151 में प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय उपयुक्त सरकार या उपयुक्त आयोग या उनके द्वारा अधिकृत उनके किसी अधिकारी या मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक या लाइसेंसधारक या उत्पादन कंपनी द्वारा लिखित में की गई शिकायत के अलावा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। जैसा भी मामला हो, इस उद्देश्य के लिए। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 151 का दूसरा परंतुक, विशेष रूप से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 के तहत गठित विशेष न्यायालय को आरोपी के बिना अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार देता है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 151 के तहत विशिष्ट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि विशेष न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 193

के तहत विचार किए गए आदेश के बिना संज्ञान लेने का अधिकार है। जब विशेष अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है जो विशेष न्यायालय को अभियुक्त के बिना किसी अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार देता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 193 का उल्लंघन है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने धारा 151 के उक्त परंतुक पर विचार नहीं किया है और आक्षेपित आदेश पारित किया है। चूंकि आक्षेपित आदेश केवल उक्त आधार पर पारित किया गया है, इसलिए हमारा विचार है कि लागू आदेश इस न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है।

12. इसके अलावा, प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए सिराजुद्दीन ने प्रस्तुत किया है कि बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 135 (1 ए) के तहत आवश्यक चौबीस घंटे के भीतर शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, और यह भी प्रस्तुत किया है कि जिस न्यायालय ने संज्ञान लिया है वह विद्युत अधिनियम, 2003 के अर्थ के भीतर एक विशेष अदालत नहीं है। अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने प्रस्तुत किया है कि कनेक्शन काटने की तारीख जैसा कि पहले 12.11.2009 को उल्लेख किया गया था, सही नहीं है और बिजली की आपूर्ति केवल 25.11.2009 को काट दी गई थी, इसलिए समय सीमा के भीतर शिकायत दर्ज की गई थी। इसके अलावा, अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि सरकार ने दिनांक 18.10.2003 के G.O.Ms संख्या 118 ऊर्जा (विद्युत-II) विभाग के तहत आईएसआई के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश न्यायालय को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों के उद्देश्य से एक विशेष अदालत के रूप में अधिसूचित किया है, इस प्रकार, विशेष न्यायालय के पास सक्षम अधिकार क्षेत्र है।

13. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उठाए गए उपरोक्त दोनों आधारों को आक्षेपित आदेश को बनाए रखने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दी गई इस दलील को ध्यान में रखते हुए कि कनेक्शन काटा गया था और आगे सरकार ने पहले ही प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत को एक विशेष अदालत के रूप में अधिसूचित करने वाली अधिसूचना जारी कर दी है, हम प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेश वरिष्ठ वकील द्वारा दी गई दलील को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं।

14. उपरोक्त कारणों से, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और हैदराबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित 2011 की आपराधिक याचिका संख्या 13678 में दिनांक 03.12.2018 के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर गौर नहीं किया है और ट्रायल कोर्ट के लिए यह खुला है कि वह ट्रायल के दौरान सबूतों के आधार पर अपने निष्कर्ष रिकॉर्ड करे।

15. तदनुसार, अपील को ऊपर बताए गए अवलोकन के साथ अनुमति दी जाती है। चूंकि यह घटना वर्ष 2009 की है, इसलिए ट्रायल कोर्ट मामले की सुनवाई में तेजी लाएगा।

अपील की अनुमति दी गई।

इला देओल, एडवोकेट